न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/632

1. प्रहलाद आयु 50 वर्ष आत्मज श्री मोडू लाल जाति बारेठ निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. बाबूलाल आयु 45 वर्ष आत्मज श्री मोडू लाल जाति बारेठ निवासी ग्राम कैथूदा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. रामस्वरूप आयु 40 वर्ष आत्मज श्री मोडूलाल जाति बारेठ निवासी ग्राम कैथूदा तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. श्रीलाल आयु 30 वर्ष आत्मज श्री प्रहलाद जाति बारेठ निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजमल आयु 60 वर्ष आत्मज श्री रघुनाथ जाति प्रजापत कुम्हार निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील, तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 14.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कैथूदा तहसील व जिला बून्दी में खसरा नम्बर 781/334 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 791/335 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 08 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज है । वादी उक्त भूमि पर निरन्तर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादीगण वादी के भूमि पर काफी दिन से कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के खाते की आराजी के उत्तरी पूर्वी कोने पर डाले गये पत्थरों को हटा लेवे एवं वादी की भूमि पर दीवार नहीं चुने तथा वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई दखल उत्पन्न नहीं करे, कब्जा नहीं करे और न ही अन्य व्यक्ति से दखल उत्पन्न करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा के विपरीत जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रहलाद के राजीनामा के खाली प्रपत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये थे जिसमें अपीलान्ट प्रहलाद को यह बताया गया था कि एक दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे में उल्लेखित तथ्यों से परे जाकर निर्णय एवं डिक्री में गलत रूप से यह अंकित कर दिया गया कि वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 335 की आराजी रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा के उत्तरी पूर्वी कोने पर डाले गये पत्थरों को रेस्पोडेन्ट हटा ले । वादी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया है तथा कानूनन स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बेदखली की डिक्री पारित नहीं की जा सकती । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.12.2018 को कार्यालय थाना अधिकारी थाना तालेडा के यहॉ रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय तालेडा से प्राप्त परिवाद के बारे में पटवारी हल्का अपीलान्ट को सूचना देने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया था । अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश किया गया था और यह कथन किया गया कि भूमि की तरमीम नहीं हुई है । अपीलान्ट प्रहलाद खसरा नम्बर 335 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 335 रकबा 08 बिस्वा पर खातेदार की हैसियत से काबिज हैं । खसरा नम्बर 334 के पूर्व में आम रास्ता है । वादी रेस्पोडेन्ट रास्ते की भूमि को कब्जे में लेना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकीयात कायम की गई, पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी । इसी दौरान दिनांक 01.06.

2017 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में अपीलान्ट कम 2 लगायत 4 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और राजीनामे के विपरीत जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रहलाद के राजीनामे के खाली प्रपत्र पर हस्ताक्षर कराये थे । राजीनामे में लिखित तथ्यों से परे जाकर निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ है और राजीनामा के आधार पर डिक्री पारित की गई है । राजीनामे के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार अपीलान्ट कम 1 प्रहलाद हैं । इस कारण अपीलान्ट कम 1 प्रहलाद एवं राजमल के राजीनामा के आधार पर निर्णय किया है । अपीलान्ट द्वारा अपील काफी विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताए हैं । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के दिनांक को अपीलान्ट कम 1 प्रहलाद मौजूद था उनको निर्णय की जानकारी थी । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में डीएनजे 2013 (2) पेज 750, डीएनजे 2015 पेज 774, आरआरडी 2012 पेज 641, आरआरटी 2015 (1) पेज 171, आरआरटी 2011 (2) पेज 851 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय के दिनांक को अपीलान्ट कम 2 लगायत 4 मौजूद नहीं थे । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा पेश किये गये दावे में जवाबदावा आने के बाद पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी ओर प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित हुए हैं और प्रतिवादी कम 2 लगायत 4 उपस्थित नहीं हुए हैं । वादी और प्रतिवादी कम 1 के द्वारा राजीनामा पेश किया जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 335 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा प्रतिवादी कम 1 की भूमि खसरा नम्बर 335 रकबा 08 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है । वादी प्रतिवादी उक्त खसरा नम्बर 335 में दर्ज भूमि पर ही काबिज रहने में सहमत हैं । उक्त खसरा नम्बर में से उक्त के अतिरिक्त अन्य भूमि पर से कब्जा हटा लेंगे । उक्त सहमति एवं वाद वादी प्रार्थना अनुसार निर्णित फरमावें ।

12. पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 के अनुसार वादी राजमल के खाते में खसरा नम्बर 781/334 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 791/335 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा कुल 02 किता की 08 बीघा आराजी दर्ज है । प्रदर्श– ए–2 प्रतिवादी प्रहलाद के खाते में खसरा नम्बर 334 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 335 रकबा 08 बिस्वा आराजी दर्ज है । राजीनामे में खसरा नम्बर 335 का बटा नम्बर अंकित नहीं किया गया है और जो निर्णय पारित किया

गया है उसमें इस राजीनामें में अंकित तथ्यों के अलावा कुछ और तथ्य भी शामिल किये गये हैं । निर्णय और डिक्री में राजीनामा में अंकित तथ्यों के अलावा यह भी अंकित किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी उक्त खसरा नम्बर में से स्वयं के खातेदारी के अतिरिक्त अन्य भूमि में से कब्जा हटा लेंगे । प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी खसरा नम्बर 335 की आराजी रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा के उत्तरी पूर्व कोने पर डाले गये पत्थरों को हटा लेंगे । वादी की भूमि पर दीवार नहीं चुनेंगे, वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे और न ही किसी अन्य व्यक्ति से दखल करावें । इस प्रकार जो तथ्य राजीनामे में अंकित नहीं हैं उनको डिक्री में अंकित किया गया है । यदि प्रकरण का राजीनामे के अनुसार निस्तारण होता है तो राजीनामे में अंकित तथ्यों के आधार पर ही डिक्री जारी की जानी चाहिए उसके अतिरिक्त अन्य तथ्यों को परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने स्तर पर नहीं जोडा जा सकता है ।

13. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि राजीनामा दावे के समस्त पक्षकारों के द्वारा भी निष्पादित नहीं किया गया है ।

14. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण हे एवं खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 14.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा